रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 28 अप्रैल, 2003/8 वैशाख, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

हमीरपुर, 31 मार्च, 2003

संख्या पंच-हमीर-1/2003-1390-1407.—मैं देवेश कुमार (भा०प्र० से०), उपायुक्त, हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०) उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) (4) के अन्तर्गत प्राप्त है, इस जिला की निम्नलिखित पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के त्याग पत्रों/मृत्यु के कारण उनके पद रिक्त घोषित करता हूं :—

क्र० सं०	जिला/विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	कारण
1	2	3	4	5	6
1.	हमीरपुर/भोरंज	टिक्कर-डिडवीं	रमा कुमारी	वार्ड सदस्य वार्ड नं० 5.	त्याग-पत्र

153-राजपत्र/2003-28-4-2003—1,390.

मूल्य : 1 रुपया ।

1	2	3	4	5	6
2.	हमीरपुर/हमीरपुर	मझोग-सुल्तानी	आशा रानी	वार्ड सदस्य वार्ड नं 3.	त्याग-पत्र
3.	हमीरपुर/बिझड़ी	टिक्करी-राजपूतां	जगदेव सिंह	वार्ड सदस्य वार्ड नं0 2.	मृत्यु
4.	हमीरपुर/बिझड़ी	उस-नाड़कलां	दीना नाथ	उप-प्रधान	मृत्यु
6.	हमीरपुर/हमीरपुर	आहलड़ी	कर्म चन्द	वार्ड सदस्य वार्ड नं0 3.	मृत्यु

नोटिस

हमीरपुर, 7 अप्रैल, 2003

संख्या पंच-हमीरपुर (जोड़े अम्ब)-1371-75.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, बिझड़ी, जिला हमीरपुर ने उनके कार्यालय पत्र सं0-5442, दिनांक 24-1-2003 के अधीन ग्राम पंचायत जोड़े अम्ब का प्रस्ताव सं0 7, दिनांक 14-1-2003 भेजकर जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर को सूचित किया है कि श्रीमती रीता देवी, पंच, वार्ड नं0 5, ग्राम पंचायत जोड़े अम्ब, दिनांक 29-12-2001 से 14-1-2003 तक लगातार पंचायत बैठकों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रह रही हैं ।

और क्योंकि श्रीमती रीता देवी, पंच, वार्ड नं0 5, ग्राम पंचायत जोड़े अम्ब के विरुद्ध उन द्वारा ग्राम पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रहने के आरोप पर कार्यवाही वांछित है ।

अतः इससे पूर्व कि श्रीमती रीता देवी, पंच, वार्ड नं0 5, ग्राम पंचायत जोड़े अम्ब के विरुद्ध आगामी कार्यवाही की जावे, मैं, देवेश कुमार (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0), हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1)(ख) व (2) के अन्तर्गत उन्हें नोटिस जारी करता हूं कि वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 29-4-2003 को ग्राम पंचायत की बैठकों में अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु पेश होवें अन्यथा अनुपस्थिति की अवस्था में मामला एकतरफा निर्णीत किया जायेगा ।

देवेश कुमार,
उपायुक्त,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

अधिसूचना

धर्मशाला, 10 अप्रैल, 2003

क्रमांक पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-2151.—उन शक्तियों के अधीन जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के

नियम, 124 के अधीन प्रदत्त हैं, मैं, प्रबोध मक्सेना (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला पंचायत समिति रैत, जिला कांगड़ा के उप-चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन निम्न सारणी अनुसार अधिसूचित करता हूं :—

क्र0 सं0	निर्वाचित सदस्यों के नाम	पद	पता
1	2	3	4
1.	श्री परस राम	अध्यक्ष	सुपुत्र स्वर्गीय श्री माली राम, गांव व डाकघर चड़ो, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
2.	श्री ओम प्रकाश	उपाध्यक्ष	सुपुत्र श्री बखशीश सिंह, मकान नं0 153, शाम नगर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

प्रबोध मक्सेना,
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला,
हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, जिला किन्नौर स्थित रिकांग पीओ
हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

रिकांग पीओ, 9 अप्रैल, 2003

सं0 कनर-पंच (निर्वाचन) 158/61-7202-08.—श्री श्याम सिंह नेगी, सदस्य, वार्ड नं0 1, ग्राम पंचायत काफनू, विकास खण्ड निचार ने अपने पद से त्याग-पत्र दिया है जो कि विकास खण्ड अधिकारी, निचार ने अपने कार्यालय पत्र सं0 11, दिनांक 4-4-2003 द्वारा अपनी सिफारिश सहित स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को भेजा है।

अतः मैं, सतीश शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम, 135(2)(1) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्याम सिंह नेगी का त्याग-पत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करता हूं।

सतीश शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
जिला किन्नौर स्थित रिकांग पीओ,
हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

कुल्लू, 31 मार्च, 2003

संख्या पी० सी० एच० (कु०) कारण बताओ/त्याग-पत्र-645-50.—यह कि श्रीमती विमला, वार्ड पंच, ग्राम पंचायत बजौरा, वार्ड संख्या 3, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू को इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत संख्या पी० सी० एच० (कु) 426-30, दिनांक 7 मार्च, 2003 द्वारा 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये थे, कि क्यों न उन्हें हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत पंच पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाए ।

तथा यह कि निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह माना गया कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है । क्योंकि उनके 8 जून, 2001 के बाद आठवीं सन्तान दिनांक 17-9-2001 को उत्पन्न हुई है । जिसके कारण वह हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122 (1) (ण) के अन्तर्गत पंच पद पर बने रहने के अयोग्य हो गये हैं जिस कारण उन के इस पद को रिक्त घोषित करना अनिवार्य हो गया है ।

अतः मैं, आर० डी० नजीम, उपायुक्त, कुल्लू उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, की संशोधित धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अधीन प्राप्त है, श्रीमती विमला वार्ड पंच, ग्राम पंचायत बजौरा, वार्ड संख्या 3, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू को तत्काल पंच पद पर रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 131 (1) के प्रावधान अनुसार पंच पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

कुल्लू, 31 मार्च, 2003

संख्या पी० सी० एच० (कु०) त्याग-पत्र-633-38.—यह कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री चांद कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत शाट, गांव व डा० धारा, विकास खण्ड कुल्लू को इस कार्यालय के पत्र संख्या 431-35, दिनांक 7-3-2003 को पांचवीं संतान के जन्मोपरान्त अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ।

यह कि श्री चांद कुमार, उप-प्रधान द्वारा दो से अधिक सन्तान के जन्मोपरान्त स्वेच्छा से नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है । जिसे जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू द्वारा कार्यालय आदेश संख्या पी० सी० एच० (कु) त्याग-पत्र 512-17, दिनांक 26-3-2003 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है । अतः इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द किया जाता है ।

कारण बताओ नोटिस

कुल्लू, 31 मार्च, 2003

संख्या पी० सी० एच० (कु०) कारण बताओ/त्याग-पत्र-628-32.—एतद्द्वारा श्रीमती कौशल्या देवी, वार्ड पंच, ग्राम पंचायत भलयाणी, वार्ड संख्या 7 जठानी, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है जो निम्नतः है :—

"(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान है । परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, नियम,

2000 के प्रारम्भ होने होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात और सन्तान नहीं होती।"

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है अर्थात् 8 जून, 2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक सन्तान है तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात अतिरिक्त सन्तानें या सन्तान उत्पन्न होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा।

खण्ड विकास अधिकारी कुल्लू ने अपने पत्र संख्या 7191, दिनांक 3-3-2003 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि आपके दिनांक 14-4-2002 को तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है जिसका इन्द्राज पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर के क्रमांक 13, दिनांक 7-5-2002 में दर्ज है जो कि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाए।

— ——

कार्यालय आदेश

कुल्लू, 8 अप्रैल, 2003

संख्या पी0 सी0 एच0 (कु0)-कारण-बताओ-698-703.—यह कि इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या पी0 सी0 एच0 (कुल्लू)-कारण-बताओ-2483-88, दिनांक 3 सितम्बर, 2002 द्वारा श्रीमती मीरा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत चायल, विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू को ग्राम पंचायत चायल की दिनांक 24-3-2002, 6-4-2002, 7-4-2002, 24-4-2002, 7-5-2002, 7-6-2002, 24-6-2002, 7-7-2002, 7-8-2002 तथा 24-8-2002 को हुई बैठकों में लगातार 11 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

यह कि श्रीमती मीरा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत चायल, विकास खण्ड निरमण्ड द्वारा कारण बताओ नोटिस के उत्तर में आग्रह किया गया था कि तथ्यों की जांच करवाई जाए।

यह कि उक्त प्रधान के आग्रह अनुसार तथ्यों की जांच खण्ड विकास अधिकारी निरमण्ड के माध्यम से करवाई गई जिसकी जांच रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी निरमण्ड से जिसके पत्र संख्या 2961, दिनांक 25-11-2002 के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने व्यक्त किया है कि उक्त प्रधान वास्तव में ही दिनांक 24-3-2002 से निरीक्षण की दिनांक 28-9-2002 तक रिकार्ड अनुसार पंचायत बैठकों से लगातार अनुपस्थित रही जिस कारण लोगों को समय पर आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जा सके। इसके अतिरिक्त पंचायत कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हुई एवं पंचायत विकास कार्यों को समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका। खण्ड विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट व तथ्यों की जांच करने पर श्रीमती मीरा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत का उत्तर सन्तोष-जनक नहीं पाया गया। जिस कारण उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

अतः मैं, आर0 डी0 नज़ीम, उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1)(बी)(2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत चायल, विकास खण्ड निरमण्ड के प्रधान पद को तत्काल रिक्त घोषित करता हूं।

आर0 डी0 नज़ीम,
उपायुक्त,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

मण्डी, 31 मार्च, 2003

संख्या पी0 सी0 एच-एम0 एन0 डी-ए (1) 61/92-III-1544-63.—हिमाचलप्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 व 131 (4) व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के अनुसरण में मैं, जे0 पी0 सिंह, उपायुक्त, मण्डी जिला मण्डी हि0 प्र0, जिला मण्डी के पंचायती राज संस्थाओं के निम्न विवरणनुसार पदाधिकारियों के विवरणिका के कालम 5 में दर्शाए कारणों के आधार पर प्राप्त त्याग-पत्रों के स्वीकार होने की दशा में तथा अन्य आकस्मिक रिक्तियां होने की दशा में नियमानुसार पदों को विधिवत रिक्त घोषित करता हूं। रिक्त पदों के प्रति नियमानुसार निर्वाचित पदाधिकारी केवल पंचायत के शेष कार्यकाल तक पदासीन रहेंगें।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	त्याग-पत्र देने वाले पदाधिकारी का नाम व पद	रिक्त होने का कारण
1	2	3	4	5
1.	द्रंग	लेर-धरवासडा	श्री सुरेन्द्र पाल, प्रधान	विधायक चुने जाने के कारण।
2.	द्रंग	बघेरी	श्रीमती दुर्गी देवी, पंच वार्ड नम्बर 5 अलगण	नौकरी पर लग जाने के कारण।
3.	धर्मपुर	धलारा	श्री रमेश चन्द, पंच, वार्ड नं0 4 चतरोण	घरेलू परिस्थितियों के कारण।
4.	धर्मपुर	धलाश	श्रीमती जानकी देवी, पंच वार्ड नम्बर 5 भदराणू।	—यथोपरि—

मण्डी, 7 अप्रैल, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-1758-65.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 19-10-2002 के अन्तर्गत श्रीमती आशा देवी, पंच, ग्राम पंचायत वातारी व्यूह, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है। प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्रीमती आशा देवी, पंच, ग्राम पंचायत वातारी व्यूह को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एच-एम0 एन0डी0/2001-5912-16 दिनांक 30-10-2002 के अधीन 15 दिनो के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किये गये कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाये।

उपरोक्त के सन्दर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित अथवा मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नही कहना है।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास खण्ड अधिकारी, ग्राम पंचायत वातारी व्यूह से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 30-6-2001 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार गाम चनेहड के परिवार संख्या 5/2 की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री रवी राम, ग्राम चनेहड, ग्राम पंचायत वातारी व्यूह के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 30-6-2001 को तीसरी सन्तान पुत्र के उत्पन्न होने की पुष्टि होती है इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं । यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है ।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की 1994 धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्रीमती आशा देवी, पंच, ग्राम पंचायत वातारी व्यूह, विकास खण्ड द्रंग को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत वातारी व्यूह, विकास खण्ड द्रंग के वार्ड 1 चनेहड के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

मण्डी, 7 अप्रैल, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-1782-89.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 19-8-2002 के अन्तर्गत श्रीमती गीता देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत कमान्द विकास खण्ड सदर (मण्डी), जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है । प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्रीमती गीता देवी, ग्राम पंचायत कमान्द को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-4904-08, दिनांक 27-8-2002 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किए गए कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाये ।

उपरोक्त के संदर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित अथवा मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है ।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कमान्द से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 22-7-2001 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम खनाहर के परिवार संख्या ..... को प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्रीमती गीता देवी पत्नी/पति श्री शेर सिंह, ग्राम खनाहर, ग्राम पंचायत कमान्द के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 1-7-2001 को तीसरी सन्तान पुत्री के उत्पन्न होने की पुष्टि होती है । इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं । यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है ।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त मण्डी जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122 (2)

के अन्तर्गत प्राप्त है, श्रीमति गीता देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत कमान्द, विकास खण्ड सदर (मण्डी) को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत कमान्द विकास खण्ड सदर के प्रधान के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

मण्डी, 7 अप्रैल, 2003

संख्या पी० सी० एन०-एम० एन० डी०-/2001-1766-76.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 22-11-2002 के अन्तर्गत श्री मनसा राम, पंच, ग्राम पंचायत सोरतां, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री मनसा राम, ग्राम पंचायत सोरतां को इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस संख्या पी० सी० एन०-एम० एन० डी०-2001-6698-6700, दिनांक 31-12-2002 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हे पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाये ।

उपरोक्त के संदर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित अथवा मौखिक रूप से प्राप्त नही हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त होने की दशा में यह माना जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नही कहना है ।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सोरतां से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 27-5-2002 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम मढीधार के परिवार संख्या 42 की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्री मनसा राम, पंच सुपुत्र श्री संत राम, ग्राम मढीधार, ग्राम पंचायत सोरतां के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 14-5-2002 को तीसरी सन्तान पुत्री के उत्पन्न होने की पुष्टि होती है । इस प्रकार उक्त पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं । यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है ।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उक्त प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मै, जे० पी० सिंह (भा० प्र० से०), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०) उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त है, श्री मनसा राम, पंच, ग्राम पंचायत सोरतां, विकास खण्ड करसोग, को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत सोरतां, विकास खण्ड करसोग के 4—मढीधार के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

मण्डी, 7 अप्रैल, 2003

क्रमांक पी० सी० एन०-एम० एन० डी०/2001- 1774-81.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 22-11-2002 के अन्तर्गत श्री ठाकुर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत पांगणा, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है। प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री ठाकुर सिंह, ग्राम पंचायत पांगणा को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी० सी० एन०-एम० एन० डी०/2001-9695-97, दिनांक 31-12-2002 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किए गए कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाए ।

उपरोक्त के सन्दर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित अथवा मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पांगणा से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 6-10-2002 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम पांगणा के परिवार संख्या 123 की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्री ठाकुर सिंह सुपुत्र श्री सुन्दर सिंह, ग्राम पांगणा, ग्राम पंचायत पांगणा के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 25-9-2002 को तीसरी सन्तान पुत्र के उत्पन्न होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं। यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उच्छत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री ठाकुर सिंह, उप-प्रधान ग्राम पंचायत पांगणा, विकास खण्ड करसोग को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत पांगणा, विकास खण्ड करसोग के उप-प्रधान के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

मण्डी, 7 अप्रैल, 2003

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-1735-42.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 22-10-2002 के अन्तर्गत श्री लाल सिंह, उप-प्रधान ग्राम पंचायत जिल्हण, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है। प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री लाल सिंह, ग्राम पंचायत जिल्हण को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-5907-11, दिनांक 30-10-2002 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किए गए कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाए।

उपरोक्त के संदर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित अथवा मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास खण्ड अधिकारी, ग्राम पंचायत जिल्हण से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 13-5-2002 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम जिल्हण के परिवार संख्या 25 की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्री लाल सिंह सुपुत्र श्री भाटकू, ग्राम जिल्हण, ग्राम पंचायत जिल्हण के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 15-4-2002 को पांचवीं सन्तान पुत्री के उत्पन्न होनें की पुष्टि होती है। इस प्रकार उक्त पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं। यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है।

उपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उच्छत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122(2) के अन्तर्गत प्राप्य हैं, श्री लाल सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत जिल्हण, विकास खण्ड द्रंग को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत जिल्हण, विकास खण्ड द्रंग के उप-प्रधान के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

मण्डी, 7 अप्रैल, 2003

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-1743-49.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 15-7-2002 के अन्तर्गत श्री सुन्दर सिंह, पंच ग्राम पंचायत जंजैहली, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है। प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री सुन्दर सिंह ग्राम पंचायत जंजैहली को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-4072-76, दिनांक 19-7-2002 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किये गये कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाये।

उपरोक्त के संदर्भ में उक्त पंचायत अधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित अथवा मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है;

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जंजैहली से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 5-12-2001 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम जंजैहली (व्योड) के परिवार संख्या 453 को प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्री सुन्दर सिंह पंच सपुत्र श्री लोहारू, ग्राम जंजैहली (व्योड) ग्राम पंचायत जंजैहली के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 20-11-2001 को तीसरी सन्तान पुत्र/पुत्री के उत्पन्न होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं। यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है।

उपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122(2) के अन्तर्गत प्राप्त है, सुन्दर सिंह, पंच, ग्राम पंचायत जंजैहली, विकास खण्ड सराज को तत्काल अपने पद आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131(1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत जंजैहली, विकास खण्ड सराज के वार्ड-7 जंजैहली-4 के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

मण्डी, 7 अप्रैल, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी/2001-1750-57.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 12-8-2002 के अन्तर्गत श्रीमती दासी, प्रधान, ग्राम पंचायत सुधार, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् तीसरी जीवित संतान उत्पन्न हुई है। प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्रीमती भाग दासी, ग्राम पंचायत सुधार को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-4909-13, दिनांक 27-8-2002 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट

करने के निर्देश किए गए कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाए।

उपरोक्त के संदर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित अथवा मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुधार से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 12-7-2001 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम घघटयाण के परिवार संख्या 6ग की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्रीमती भाग दासी पत्नी श्री हेत राम ग्राम घघटयाण, ग्राम पंचायत सुधार के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात दिनांक 28-6-2002 को तीसरी सन्तान पुत्र के उत्पन्न होने की पुष्टि होती है इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं। यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है।

उपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों से उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त है, श्रीमती भाग दासी, प्रधान, ग्राम पंचायत सुधार, विकास खण्ड द्रंग को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत सुधार, विकास खण्ड द्रंग के प्रधान के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

आदेश द्वारा,

जे0 पी0 सिंह,
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित